

8/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील
 तादी अनु.। प्रकरण में
 वकील तादी को उपस्थित
 होने हेतु मंलिम अक्सर दिय
 जाकर पत्रावली दि 15/3/22
 को देखा हो।

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ़, भीलवाड़ा

15.3.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु.।
 वकील प्रार्थी को लीबर्ट आवाजे लगाई
 गई परन्तु उनकी तरफ से कोई उप
 नही ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम
 दायिरी अदम पैरवी में खारिज किया
 जाया उचित प्रतीत होता है। अतः वकील
 प्रार्थी व उनकी तरफ से कोई भी
 उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम
 दायिरी अदम पैरवी में खारिज
 किया जाता है। पत्रावली कुलल सुभार
 होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ़, भीलवाड़ा